उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

हरिद्वार–249404

Website:psc.uk.gov.in

विज्ञापन संख्याः–A-1/DR/S-1/2025

अधीक्षिका (महिला कल्याण विभाग) चयन–2025

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	–	दिनांक 11 जुलाई, 2025
ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने की अन्तिम तिथि	–	दिनांक 31 जुलाई, 2025 (रात्रि 11.59.59 बजे तक)
आवेदन शुल्क –Net Banking/Debit Card/Credit Card/UPI Payment द्वारा जमा करने की अन्तिम तिथि	–	दिनांक 31 जुलाई, 2025 (रात्रि 11.59.59 बजे तक)
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन–पत्र की प्रविष्टियों में संशोधन/परिवर्तन किये जाने हेतु समय	–	दिनांक 08 अगस्त, 2025 से दिनांक 17 अगस्त, 2025 तक (रात्रि 11.59.59 बजे तक)
ऑनलाइन आवेदन–पत्र की प्रिंट आउट प्रति, समस्त शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों के साथ जमा करने की अंतिम तिथि	–	दिनांक 01 सितम्बर, 2025 (सांय 6:00 बजे तक)

अति महत्वपूर्ण निर्देश :–

1.	**उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या–168/XXXVI(3)/2023/10(01)/2023 दिनांक 27 अप्रैल, 2023 द्वारा उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम–2023 प्रख्यापित किया गया है। किसी भी प्रकार के अनुचित साधन का प्रयोग करने पर अभ्यर्थी के खिलाफ उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम–2023 के तत्समय लागू प्राविधानानुसार कार्यवाही की जाएगी।**
2.	अभ्यर्थी अपने ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उपश्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन–पत्र में अवश्य करें। **आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण एवं शैक्षिक अर्हता विषयक प्रमाण–पत्र ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने की अन्तिम तिथि 31 जुलाई, 2025 तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना चाहिए।**
3.	**अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने की अन्तिम तिथि अर्थात् दिनांक 31 जुलाई, 2025 तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों।** **उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका–2022** के क्रम में अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित करने की तिथि का निर्धारण केवल अंक–पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) से किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन–पत्र के शैक्षिक अर्हता (Qualification Detail) के विवरण में, Result Declaration Date के कॉलम में, संबंधित शैक्षिक अर्हता के अंक–पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) का अंकन हो। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के अंक–पत्र निर्गत होने की तिथि, विज्ञापन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने की अंतिम तिथि तक होना अनिवार्य है अन्यथा अभ्यर्थी को अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा। **विज्ञापन की शर्तानुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतः अभ्यर्थी की होगी।**
4.	अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली–भांति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाइन आवेदन–पत्र को सही–सही भरें। किसी भी स्थिति में अपूर्ण आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा अभ्यर्थी का अभ्यर्थन स्वतः ही निरस्त समझा

	जायेगा।
5.	फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/आयु/अनुभव/आरक्षण सम्बन्धी आदि) के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की इस परीक्षा से व समस्त आगामी परीक्षाओं से अधिकतम 05 वर्षों के लिए प्रतिवारित (DEBAR) कर दिया जायेगा। साथ ही सुसंगत विधि के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरूद्व अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश–पत्र पर लिखना तथा प्रवेश पत्र पर लिख कर लाना भी अनुचित साधन की श्रेणी में आयेगा।
6.	**ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन में की गयी प्रविष्टियों के अंतर्गत अभ्यर्थियों के नाम/जन्म तिथि/श्रेणी/उपश्रेणी/लिंग आदि में संशोधन हेतु केवल एक बार पुनः लिंक खोला जायेगा। अभ्यर्थीगण आवेदन–पत्र की समस्त प्रविष्टियों को अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें।** **विज्ञापन के बिन्दु संख्या–14 (संशोधन/परिवर्तन प्रक्रिया) में उल्लिखित प्राविधानानुसार आयोग द्वारा संशोधन/परिवर्तन किये जाने हेतु उपलब्ध कराये गये लिंक पर ऑनलाइन आवेदन–पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा संशोधन/परिवर्तन (Edit/Correction) किया जा सकता है।** **अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन–पत्र में त्रुटि होने की दशा में संशोधन/परिवर्तन किए जाने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व आवश्यक संशोधन अनिवार्य रुप से कर लें। उक्त संशोधन/परिवर्तन का अवसर प्रदान करने के उपरान्त किसी भी दशा में अभ्यर्थी द्वारा उनके ऑनलाइन आवेदन–पत्र में अंकित किसी भी प्रविष्टि/दावे को संशोधित/परिवर्तित करने के अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।**
7.	प्रश्नगत् परीक्षा हेतु केवल ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन–पत्र स्वीकार किये जायेंगे।
8.	अभ्यर्थी परीक्षा योजना के लिए **परिशिष्ट–1**, स्क्रीनिंग परीक्षा के पाठ्यक्रम के लिए **परिशिष्ट–2**, न्यूनतम अर्ह अंकों के लिए **परिशिष्ट–3**, उत्तराखण्ड राज्य की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण–पत्रों के प्रारूप हेतु **परिशिष्ट–4,** दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में दिशा निर्देश **परिशिष्ट–5** एवं 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता धारित अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किये जाने के संबंध में दिशानिर्देश **परिशिष्ट–6,** प्रस्तुत किये जाने वाले अभिलेखों से संबंधित चैकलिस्ट हेतु **परिशिष्ट–7,** नाम में भिन्नता के संबंध में स्वघोषणा के प्रारूप हेतु **परिशिष्ट–8,** अनुभव प्रमाण–पत्र के लिए **परिशिष्ट–9,** का अवलोकन करें।
9.	अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन–पत्र में दावित समस्त अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित प्रति एवं ऑनलाइन आवेदन–पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रति आयोग कार्यालय में प्रेषित करने से पूर्व आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध **उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका–2022** का अवश्य अवलोकन कर लें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के स्वहस्ताक्षरित प्रिन्ट आउट के साथ ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावे के सापेक्ष समस्त अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित प्रति **(परिशिष्ट–7 पर उपलब्ध चैकलिस्ट के अनुसार)** लिफाफे में रख कर **सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार** को **रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट/कोरियर अथवा आयोग कार्यालय के किसी भी कार्यदिवस (सोमवार से शुक्रवार, समय–09:30 AM से 06:00 PM) में उपस्थित होकर निर्धारित तिथि तक जमा कराना सुनिश्चित करें। आवेदन–पत्र के लिफाफे के ऊपर परीक्षा के नाम का अंकन अवश्य करें।** **यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने अभिलेख निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय तक आयोग कार्यालय में प्राप्त नहीं कराए जाते हैं तो आयोग द्वारा अभ्यर्थी की अर्हता पर विचार नहीं किया जाएगा। डाक विभाग की किसी भी देरी के लिए आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।**

10.	अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा न करें, बल्कि उससे पूर्व ही अपना ऑनलाइन आवेदन–पत्र जमा करना सुनिश्चित करें।
11.	ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने की अंतिम तिथि एवं नियत समय तक अभ्यर्थी द्वारा "Online Application" प्रक्रिया में पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन–पत्र तथा आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात ही "Online Application" की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी।
12.	अभ्यर्थी विज्ञापित पद हेतु एक से अधिक आवेदन कदापि न करें, अन्यथा संबंधित पद हेतु आवेदित इस प्रकार प्राप्त समस्त आवेदन–पत्र निरस्त कर दिए जायेंगे। अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन–पत्र तथा आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन–पत्र में त्रुटि होने की दशा में अभ्यर्थी आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व अपना आवेदन निरस्त (cancel) कर, पुनः आवेदन कर सकते हैं, किन्तु आवेदन निरस्त (cancel) करने पर निरस्त किये जाने वाले आवेदन के सापेक्ष जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा और नवीन आवेदन–पत्र के सापेक्ष समायोजित भी नहीं किया जायेगा।
13.	**प्रश्नगत पदों पर चयन हेतु सन्निरीक्षा में औपबन्धिक रुप से अर्ह अभ्यर्थियों के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया अपनायी जायेगी, परन्तु रिक्त पदों के सापेक्ष मानक से अधिक संख्या में आवेदन–पत्र प्राप्त होने की दशा में छंटनी हेतु साक्षात्कार से पूर्व हरिद्वार नगर के परीक्षा केन्द्रों पर स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित करायी जा सकती है।**
14.	स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित होने की दशा में अभ्यर्थियों को परीक्षा की तिथि की सूचना तथा साक्षात्कार से पूर्व साक्षात्कार की तिथि की सूचना यथासमय पृथक से दैनिक समाचार–पत्रों तथा आयोग की वेबसाइट **psc.uk.gov.in** के माध्यम से प्रसारित की जाएगी। **अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण सूचनायें ई–मेल या एस0एम0एस0 के माध्यम से प्रेषित की जायेगी। इसलिए अभ्यर्थी स्वयं का मोबाईल नम्बर व ई–मेल आई0 डी0 ही आवेदन–पत्र में भरें।**
15.	साक्षात्कार से पूर्व अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावे से सम्बन्धित अभिलेखों यथा–शैक्षणिक, आरक्षण आदि का आयोग द्वारा सत्यापन किया जायेगा। जिसके सम्बन्ध में पृथक से दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
16.	प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को प्रवेश–पत्र डाक के द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं जन्मतिथि के आधार पर प्रवेश–पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों के सूचनार्थ विज्ञप्ति, राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट **psc.uk.gov.in** पर प्रसारित की जायेगी।
17.	**प्रश्नगत पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः औपबन्धिक होगा। अभ्यर्थी को मात्र प्रवेश–पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसका अभ्यर्थन आयोग द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दिया गया है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा प्रारम्भिक स्तर पर ही उसका आवेदन अस्वीकार किया जाना चाहिए था, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि आयोग द्वारा अन्तिम रूप से चयन के उपरान्त अभ्यर्थी की संस्तुति प्रेषित की जा चुकी हो, तो उक्त स्थिति में भी आयोग द्वारा संस्तुति वापस ले ली जाएगी।**

उत्तराखण्ड महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत महिला कल्याण विभाग में **अधीक्षिका (महिला)** के रिक्त पद पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन–पत्र (Online Application) आमंत्रित किये जाते हैं। **अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार के प्राप्तांक से निर्मित मेरिट के आधार पर किया जायेगा।**

2. रिक्तियों का विवरण :– महिला कल्याण विभाग में अधीक्षिका (महिला) पद हेतु रिक्तियों की कुल संख्या :–

क्र.सं.	श्रेणी	कुल रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण का विवरण				
			उत्तराखण्ड महिला 30 प्रतिशत	स्वतंत्रता संग्राम सैनानी के आश्रित 02 प्रतिशत	दिव्यांग 4 प्रतिशत	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे 5 प्रतिशत	भूतपूर्व सैनिक 05 प्रतिशत
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	—	—

रिक्तियों की संख्या घट–बढ़ सकती है।

नोटः 1. प्रश्नगत् पद के सापेक्ष **केवल महिला अभ्यर्थी** ही आवेदन कर सकती हैं।

2. आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के पद के सापेक्ष आवेदन कर सकते हैं।

3. उत्तराखण्ड शासन, समाज कल्याण अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–48/XVII-A-3/2023-01(11)/वि0क0/2017, दिनांक–05.06.2023 में दिव्यांगजन हेतु चिह्नांकित श्रेणियां **OA, OL, B, LV/PB, D, HH/PD, DW, AAV/AV, LC** निर्धारित हैं।

3. पद का स्वरूप :– राजपत्रित/स्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त (समूह–'ख')।

4. वेतनमान् :– रु0 35,400–1,12,400 (लेवल–06)।

5. (1) शैक्षिक अर्हता– समाजशास्त्र या अनुप्रयुक्त समाजशास्त्र या सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर उपाधि–

(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से;

या

(दो) विश्वविद्यालय से भिन्न किसी ऐसी संस्था जिसे विधि के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी गयी हो या घोषित किया गया हो;

या

(तीन) केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय से।

Essential Qualification-

A Master's Degree in Sociology or Applied Sociology or Social work from-

(i) A University established by law in India

or

(ii) An Institution other than a University recognised or declared under the law to be University ;

or

(iii) A Foreign University recognised by the Central Government.

(2) अधिमानी अर्हता –

(एक) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की विधि स्नातक की उपाधि,

(दो) सामाजिक कार्य का व्यावहारिक अनुभव।

Preferential Qualification-

(i) A degree of bachelor of law of a recognised University.

(ii) Practical experience of Social work.

नोट–(1) उत्तराखण्ड शासन, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग–2 के पत्र संख्या–187/XVII-2/25-01(34)/2009/ई–8998 दिनांक 29 अप्रैल, 2025 के क्रम में अधिमानी अर्हता के बिन्दु–2 में वांछित ''सामाजिक कार्य का व्यावहारिक अनुभव'' हेतु निम्नानुसार अनुभव प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा :–

महिला/बालकों की शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं समग्र विकास के साथ–साथ संस्था के समग्र प्रबन्धन तथा नैतिक मामलों का पर्यवेक्षण, विनियमों और सर्वोत्तम प्रथाओं का अनुपालन करने संबंधी क्षेत्र में सामाजिक कार्य का 01 वर्ष का (सरकारी/गैरसरकारी/अर्द्ध सरकारी/निजी संस्था से) व्यावहारिक अनुभव।

(2) अनुभव प्रमाण–पत्र परिशिष्ट–9 के प्रारूप में प्रस्तुत करने पर ही मान्य है।

6. **आयु सीमाः–** आयु सीमा **न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 42 वर्ष** निर्धारित है। आयु गणना की विनिश्चायक तिथि **01 जुलाई, 2025** है। अभ्यर्थी 01 जुलाई, 2025 को न्यूनतम आयु का हो जाना चाहिए और अधिकतम आयु का नहीं होना चाहिए। अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म **01 जुलाई 2004 के पश्चात् व 02 जुलाई 1983 के पूर्व का नहीं** होना चाहिए।

7. **अधिकतम् आयु सीमा में छूटः–** विभिन्न श्रेणियों/उपश्रेणियों के अभ्यर्थियों हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत एवं वर्तमान में प्रचलित शासनदेशों के अनुसार उच्चतम आयु सीमा में उनके आरक्षण की श्रेणी तथा उपश्रेणी के अनुसार छूट प्रदान की जायेगी।

(1) उत्तराखण्ड **अनुसूचित जाति/उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति/उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु एवं सम्बन्धित उपश्रेणियों** हेतु शासनादेश संख्याः 1399/XXX(2)/2005, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।

(2) उत्तराखण्ड के **स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित** अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश संख्याः 1244/XXX(2)/2005, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।

(3) उत्तराखण्ड के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश संख्या 1244, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा समूह 'ख' के पदों हेतु अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है। **दिव्यांगजनों के आरक्षण के लाभ हेतु दिव्यांगता की उपयुक्त चिन्हित श्रेणियों OA, OL, B, LV/PB, D, HH/PD, DW, AAV/AV, LC में से किसी एक में कम से कम 40 प्रतिशत की दिव्यांगता होना अनिवार्य है।**

(4) शासनादेश संख्याः 17/2/1981–कार्मिक–2, दिनांक 28 फरवरी, 1985 के अनुसार ''उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों को जिन्होंने सेना के आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित, पूर्व सैनिकों तथा कमीशन प्राप्त उन अधिकारियों को जिन्होंने सेना में कम से कम पांच वर्ष की सेवा कर ली हो, निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से अधिकतम पांच वर्ष तक की छूट सेवाकाल को आधार मानकर, दी जायेगी। यह छूट उन सैनिकों/अधिकारियों को भी अनुमन्य होगी जो छः माह की अवधि में कार्यमुक्त होने वाले हों परन्तु निम्नलिखित को अनुमन्य नहीं होगी–

1. जो कदाचार अथवा अकुशलता के कारण बर्खास्त हुए हों
2. जो सेना की सेवा में अवगुण समझी जाने वाली शारीरिक अयोग्यता अथवा अशक्तता के कारण सेवा मुक्त हुए हों।''

यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उपश्रेणी का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।

8. **आरक्षण :–** उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पूर्व सैनिक, स्वतत्रंता संग्राम सैनानी आश्रित, दिव्यांग, उत्तराखण्ड

महिला, उत्तराखण्ड के अनाथ, उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी तथा उनके आश्रित एवं उत्तराखण्ड के कुशल खिलाडी अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार प्रदान किया जायेगा।

ऑनलाइन आवेदन–पत्र के सम्बन्धित कॉलम में उर्ध्व/क्षैतिज आरक्षण श्रेणी/उपश्रेणी का दावा करने पर ही आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे, पूर्व सैनिक, दिव्यांगजन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, महिला, उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी तथा उनके आश्रित एवं उत्तराखण्ड के कुशल खिलाडी श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी, जो उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी नहीं हैं, को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।

आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र होना आवश्यक है, जिसे उन्हें ऑनलाइन आवेदन–पत्र की छायाप्रति सहित अन्य स्वप्रमाणित अभिलेखों के साथ अभिलेख सत्यापन के समय संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। आरक्षण के सम्बन्ध में जिस श्रेणी से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप का उल्लेख **"परिशिष्ट–4"** में नहीं है, उससे सम्बन्धित प्रमाण–पत्र, जो सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी किया गया हो, संलग्न करें। जहां शपथ–पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक हो वहां वांछित शपथ–पत्र मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा विधिवत् प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना होगा।

i. पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ अधिसूचना सख्या–133/XXXVI(3)2009/14(1)/2009, दिनांक 16.03.2009 के अनुसार उत्तराखण्ड अधिवासी, सेना से सेवानिवृत्त/विनियोजित सैन्य कर्मियों को ही अनुमन्य होगा। पूर्व सैनिकों को राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन के संबंध में कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के शासनादेश संख्या : 406/XXX(2)2021-55(41)/2004 दिनांक 18 जनवरी, 2021, शासनादेश संख्या : 51/XXX(2)2021-53(01)/2001 दिनांक 09 फरवरी, 2021 एवं शासनादेश संख्या : 277/XXX(2)2021-30(21)/2018 दिनांक 13 सितम्बर, 2021 द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन के संबंध में दिशा निर्देश निर्गत हैं। भारत सरकार के **O.M. No. 36034/27/84-Estt. (SCT)** दिनांक 02 अप्रैल, 1992 के संदर्भ में शासन द्वारा निम्नवत निर्णय लिया गया है–

(a) once an ex-serviceman has joined the Government job on civil side after availing of the benefits given to him as an ex-serviceman for his re-employment, his exserviceman status for the purpose of re-employment in Government would cease.

(b) The ex-servicemen candidates who have already secured employment under the State Govt. in Groups C & D will be permitted the benefit of age relaxation as prescribed for ex servicemen for securing another employment in a higher grade or cadre in Group C/D under the state Govt. However, such candidates will not be eligible for the benefit of reservation for ex-servicemen in State Govt. jobs.

(C) If an ex-serviceman applies for various vacancies before joining any civil employment, he/she can avail of the benefit of reservation as ex-serviceman as soon as he/she joins any civil employment, should give self declaration/

undertaking to the concerned employer about the date-wise details of application for various vacancies for which he/she has applied for before joining the initial civil employment. Further, this benefit would be available only in respect of vacancies which are filled on direct recruitment and wherever reservation is applicable to ex-serviceman. का प्राविधान राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया है। अतएव राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन हेतु सरकार की उक्त नीति के अनुसार राज्याधीन सेवाओं में क्षैतिज आरक्षण की गणना की जायेगी। पूर्व सैनिक आरक्षण का दावा किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी को पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ लेकर पहले कभी भी सरकारी सेवा में नियोजित नहीं होने संबंधी शपथ–पत्र (Affidavit) अपने अन्य अभिलेखों के साथ ससमय आयोग कार्यालय में अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा।

ii. स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित (डी0एफ0एफ0) को आरक्षण का लाभ शासन द्वारा निर्गत अद्यतन प्रचलित शासनादेशों के आधार पर दिया जायेगा।

iii. **शासनादेश संख्या : 310/XVII-2/16-02(OBC)/2012, दिनांक 26.02.2016 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण–पत्र की वैधता, निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक है।** अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण–पत्र ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अवश्य धारित व मान्य होना चाहिए।

iv. **अधिसूचना संख्या : 64/XXXVI(3)/2019/19(1)/2019, दिनांक 07.03.2019 द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु के लिए आरक्षण) अधिनियम 2019 में** आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को राज्याधीन लोक सेवाओं और सीधी भर्ती के पदों में 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण–पत्र जिस वर्ष हेतु निर्गत किया जाये, उस वर्ष से पूर्व वित्तीय वर्ष की आय के आधार पर जारी होना चाहिए। उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण–पत्र ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अवश्य धारित व मान्य होना चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का लाभ मात्र उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगा। **इस श्रेणी के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में किसी भी प्रकार की छूट अनुमन्य नहीं है।**

v. उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या : 179/XXX(2)/2021-30(2)/2019 दिनांक 31 अगस्त, 2021 द्वारा निर्गत उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी, ऐसे प्रभावित बच्चों (जिनके जैविक/दत्तक माता–पिता दोंनों की मृत्यु बच्चे के जन्म से 21 वर्ष तक की अवधि में हुयी हो) तथा राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय/शासकीय सेवा में क्षैतिज आरक्षण नियमावली, 2021 एवं शासनादेश संख्या : 11/XXX(2)/2022-30(2)/2019 दिनांक 16 फरवरी, 2022 के अनुक्रम में उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चों को क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किया गया है। सम्बन्धित प्रमाण–पत्र जनपद के जिला प्रोबेशन अधिकारी की संस्तुति पर उप जिलाधिकारी से अन्यून अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो।

vi. उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 09/XXXVI(3)/2023/72(1)/2022 दिनांक 10 जनवरी, 2023 के क्रम में **उत्तराखण्ड लोक सेवा (महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण) अधिनियम–2022 के प्रस्तर–3(1) व (2) के अनुसार उत्तराखण्ड अधिवासित महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण का लाभ अनुमन्य किया जायेगा।**

आरक्षण के दावे की पुष्टि के लिए जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/ नगर मजिस्ट्रेट/एस.डी.एम./तहसीलदार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के निर्धारित प्रारूप पर जारी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(2) शासनादेश संख्याः 374(1)/XXX(2)/2019-30(5)/2014, दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के अनुपालन में **40 प्रतिशत या उससे अधिक प्रतिशत की विकलांगता** से संबंधित दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में मार्गदर्शिका सिद्वांत **परिशिष्ट–5, 5(1), 5(2)** तथा **40 प्रतिशत से कम विकलांगता** से संबंधित दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में मार्गदर्शिका सिद्वांत **परिशिष्ट–6, 6(1), 6(2)** में संलग्न है।

9. राष्ट्रीयता :–

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो, **या**

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश, केन्या, युगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तांजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवजन किया हो,

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ले,

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें।

टिप्पणी :– ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाए।

10. चरित्र :– सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी :– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

11. वैवाहिक प्रास्थिति :– सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो;

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती हैं, यदि उसका यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

12. शारीरिक स्वस्थता :– किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए

अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह चिकित्सा परिषद द्वारा आयोजित चिकित्सा परीक्षा में सफल पाया जाए।

13. ऑनलाइन आवेदन किये जाने हेतु प्रक्रिया :–

1. अभ्यर्थी विज्ञापन का सम्यक् रूप से अवलोकन करने हेतु आयोग की वेबसाइट **psc.uk.gov.in** या **ukpsc.net.in** पर जायें।
2. विज्ञापन का अवलोकन करने के पश्चात् **ukpsc.net.in** पर जाकर **Menubar** में **How to Apply** लिंक पर क्लिक करें। **How to Apply** पेज पर **Advertisement Details, Important Dates** एवं **Instructions for filling up online application form** का अवलोकन करने के पश्चात् **Apply Now** बटन पर क्लिक करें।
3. **Apply Now** पर क्लिक करने के पश्चात् खुले **Registration** फॉर्म पर वॉछित, अपनी सही जानकारी भरकर **Login** हेतु **Password** बनाकर **Submit** पर क्लिक करें। **Submit** पर क्लिक करने के पश्चात् फॉर्म पर भरी जानकारी **Basic Information** प्रदर्शित होगी। भरी हुई जानकारी का पुनः सम्यक परीक्षण कर लें। यदि भरी हुई जानकारी सही है तो **I have verified all the details entered by me in the registration form and wish to submit the same** पर **Tick** कर **Submit** पर क्लिक करें, अन्यथा **No, I want to change some details** पर **Tick** कर **Edit** पर क्लिक करें एवं संशोधित **detail** भरने के पश्चात् पुनः **Registration** फार्म **Submit** करने की प्रक्रिया पूर्ण करें।
4. **Submit** पर क्लिक करने के पश्चात् स्क्रीन पर **Primary Registration** पूर्ण होने की जानकारी प्रदर्शित होगी एवं **Registered Mobile Number** एवं **Email** पर **Message** प्राप्त होगा। तत्पश्चात् स्क्रीन पर **Click here to login** के बटन पर क्लिक करें।
5. **Login** करने के पश्चात् **Educational Details** पेज प्रदर्शित होगा। तत्पश्चात् अभ्यर्थी **High School** का विवरण भरकर **Add Education Details** पर क्लिक करें, भरा गया विवरण **Add Education Detail** के नीचे ग्रिड में प्रदर्शित होगा। गलत **Educational** विवरण भरने की स्थिति में ग्रिड में **Edit/Delete** के **Icon** पर क्लिक कर **Edit** अथवा **Delete** किया जा सकता है। इसी प्रकार **Intermediate, Graduate** व अन्य शैक्षिक अर्हताएं भरें। फॉर्म पर अन्य विवरण भरकर **Continue** पर क्लिक करें। उसके पश्चात् **Photo & Signature to Upload** टैब पर **Photo, Signature** को प्रदर्शित सूचना के आधार पर अपलोड करें। **Photo, Signature** को **re upload** करने के लिए **I want to upload photo and signature Checkbox** पर क्लिक कर पुन **Photo, Signature** अपलोड किये जा सकते हैं।
6. **Photo, Signature** अपलोड होने के पश्चात् **"I hereby declare that the photograph & signature are correct and accurate representation of myself" declaration** पर **Tick** कर **Continue** पर क्लिक करें। तत्पश्चात् फॉर्म में भरा गया डाटा स्क्रीन पर दिखाई देगा। फार्म में भरे गये विवरण को सावधानी पूर्वक चेक कर लें। गलत भरे गये विवरण को **Back & Edit** के बटन पर क्लिक कर फार्म पर पुनः वापस जाकर सही किया जा सकता है। वॉछित विवरण सही होने की स्थिति में घोषणा पर **Tick** करने के पश्चात् **Proceed Button** पर क्लिक करें। ततपश्चात् परीक्षा शुल्क जमा करने हेतु **Pay Now Button** पर क्लिक कर, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करें। **Print Application** बटन पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन–पत्र का प्रिंट प्राप्त कर लें।
7. **Final Submission** के उपरान्त आवेदन–पत्र में त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपना आवेदन रद्द **(Cancel)** कर पुनः आवेदन कर सकते हैं। **रद्द किये गये आवेदन–पत्र के सापेक्ष जमा किया गया शुल्क वापस नहीं होगा।** आवेदन रद्द **(Application Cancel)** करने के लिए **Cancel My Application** बटन पर क्लिक करें। तत्पश्चात एक नई विण्डो ओपन होगी, जिसमें दी गयी घोषणा का सम्यक् अध्ययन करने के पश्चात् घोषणा को

Tick कर **Submit** बटन पर क्लिक करें अथवा वापस जाने हेतु **Close** बटन पर क्लिक करें। **Submit** पर क्लिक करने के पश्चात् अभ्यर्थी को पंजीकृत मोबाईल पर ओ0टी0पी0 **(OTP)** प्राप्त होगा, जिसको कि **Enter OTP** वाली फील्ड्स पर दर्ज कर **Cancel Application** बटन पर क्लिक करें। आवेदन रद्द **(Application Cancel)** करने के पश्चात् उस रद्द आवेदन **(Cancel Application)** के सापेक्ष किसी भी दशा में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

नोटः (1) **उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ अभ्यर्थी** हेतु कोई शुल्क देय नहीं है किन्तु उक्त अभ्यर्थी को आवेदन–पत्र पर डाटा भरने के बाद Final Submit बटन पर क्लिक कर आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा। तत्पश्चात् आवेदन–पत्र में भरे गये डाटा में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन नही किया जा सकता है।

(2) **Final Submission** से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा आवेदन–पत्र में त्रुटि होने की दशा में **Back & Edit** के बटन पर क्लिक कर फार्म में वापस **(Back)** जाकर त्रुटि में संशोधन किया जा सकता है। ऑनलाईन आवेदन करते समय आने वाली तकनीकी समस्या **(Technical Issue)** के समाधान हेतु अभ्यर्थी **ukpschelpline@gmail.com** पर ई–मेल कर सकते हैं। **Final Submission** के पश्चात् आवेदन–पत्र में भरे गये डाटा में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है।

(3) अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण किये जाने के पश्चात् **मोबाइल नम्बर Edit** नहीं किया जा सकता है।

14. संशोधन/परिवर्तन प्रक्रिया–

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् **दिनांक 08 अगस्त, 2025 से दिनांक 17 अगस्त, 2025** तक प्रविष्टियों में संशोधन/परिवर्तन किये जाने हेतु दिशा–निर्देशः–

(i) ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने के पश्चात् 05 कार्यदिवस के उपरांत (Edit/Correction) का लिंक खोला जाएगा।

(ii) Edit/Correction हेतु उक्त लिंक की समयावधि 10 दिन होगी।

(iii) जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण की है, केवल वही अभ्यर्थी अपने ई–मेल आई0डी0 एवं पासवर्ड से लॉग–इन कर पायेंगे।

(iv) लॉग–इन करने के पश्चात् अभ्यर्थी शर्तानुसार अपने भरे हुए डाटा में **(मोबाइल नम्बर एवं ई–मेल आई0डी0 को छोड़कर)** आवश्यकतानुसार संशोधन कर पायेंगे।

(v) अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन–पत्र में Edit/Correction की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी, उसके पश्चात् ही आवेदन पत्र में डाटा Update हो सकेगा।

(vi) Edit/Correction की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् Edited Data ही अंतिम माना जायेगा।

(vii) अभ्यर्थी द्वारा श्रेणी/उपश्रेणी में परिवर्तन किये जाने पर अभ्यर्थियों को परिवर्तित श्रेणी/उपश्रेणी का शुल्क विज्ञापन की शर्तो के अनुसार देय होगा, किन्तु अगर अभ्यर्थी केवल ऐसी उपश्रेणी (डी0एफ0एफ0/उ0म0 इत्यादि) में बदलाव करता है जिससे शुल्क में कोई प्रभाव नही पड़ता तो उस उपश्रेणी में बदलाव का कोई शुल्क देय नही होगा। अभ्यर्थी को अन्य प्रविष्टियों में परिवर्तन/त्रुटि सुधार करने पर कोई शुल्क देय नहीं होगा।

(viii) अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त संशोधन/परिवर्तन का अवसर प्रदान करने के उपरान्त किसी भी दशा में अभ्यर्थी द्वारा उनके ऑनलाइन आवेदन–पत्र में

अंकित किसी भी प्रविष्टि/दावे को संशोधित/परिवर्तित करने के अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

15. आवेदन शुल्कः– प्रश्नगत् परीक्षा हेतु मात्र **Net Banking/Debit Card/Credit Card/UPI Payment** के माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन शुल्क स्वीकार्य होगा। अन्य किसी भी प्रकार से किया गया आवेदन/परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता है अथवा निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है, तो उसका ऑनलाइन आवेदन अपूर्ण मानते हुए अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। प्रश्नगत परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को **Net Banking/Debit Card/Credit Card/UPI payment** के माध्यम से निम्नानुसार शुल्क जमा करना अनिवार्य हैः–

क्र0सं0 (S.No.)	श्रेणी (Category)	आवेदन शुल्क (Application Fee)	प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित (Processing Fee)	कुल शुल्क (Total Fee)
01.	अनारक्षित	रु0 150	रु0 16.36	रु0 166.36
02.	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग	रु0 150	रु0 16.36	रु0 166.36
03.	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	रु0 60	रु0 16.36	रु0 76.36
04.	उत्तराखण्ड के आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग	रु0 150	रु0 16.36	रु0 166.36
05.	शारीरिक दिव्यांग	कोई शुल्क नहीं	रु0 16.36	रु0 16.36
06.	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं

नोटः–

1. उत्तराखण्ड राज्य के पूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित एवं उत्तराखण्ड महिला, कुशल खिलाड़ी एवं राज्य आंदोलनकारी के अभ्यर्थी जिस वर्ग या श्रेणी यथा अनारक्षित या आर्थिक कमजोर वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का हो, उसे उस श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।
2. उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या 1673, दिनांक 10 नवम्बर 2010 एवं शासन के पत्र संख्या 232, दिनांक 26 सितम्बर, 2018 के क्रम में विज्ञापित पदों के सापेक्ष चिन्हित श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु आवेदन शुल्क में छूट अनुमन्य होगी किन्तु प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित रु 16.36 देय होगा।
3. परीक्षा शुल्क जमा किये जाने की निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात् शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी का आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा, उसे निरस्त माना जायेगा।
4. जमा शुल्क किसी भी दशा में अभ्यर्थी का वापस नहीं होगा।

16. अभ्यर्थियों के लिए आवेदन–पत्रों की सन्निरीक्षा/स्क्रीनिंग परीक्षा/साक्षात्कार से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण निर्देशः–

(I) <u>आवेदन–पत्रों की सन्निरीक्षा,</u>

(1) आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया, पदों से संबंधित संगत सेवा नियमावली, अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावलियों/मैनुअल्स/मार्ग–दर्शक सिद्धान्तों एवं समय–समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णयों इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी।

(2) अभ्यर्थियों हेतु Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules-2013 एवं प्रथम संशोधन–2016 और उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली, 2022, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका–2022 समय–2

पर यथा संशोधित आयोग की वेबसाइट **psc.uk.gov.in** पर उपलब्ध है।

(3) ऑनलाइन आवेदन–पत्र के साथ समस्त वांछित अभिलेख/प्रमाण–पत्र आयोग कार्यालय में निर्धारित अंतिम **तिथि** प्राप्त किए जायेंगे। **आयोग में प्राप्त अभिलेखों/ प्रमाण–पत्रों इत्यादि की सन्निरीक्षा (Scrutiny) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका–2022 के आलोक में सम्पन्न की जायेगी,** जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसके महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नवत् हैः–

(i) अभ्यर्थी द्वारा जन्मतिथि हेतु हाईस्कूल (मैट्रीकुलेशन/समकक्ष) का अंक–पत्र एवं प्रमाण–पत्र तथा निर्धारित अंतिम तिथि तक अनिवार्य शैक्षिक अर्हता का अंक–पत्र एवं प्रमाण–पत्र/उपाधि प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। उक्त प्रमाण–पत्र उपलब्ध न कराने की स्थिति में अभ्यर्थी को सन्निरीक्षा टीप में अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।

(ii) अभ्यर्थियों द्वारा दावित अधिमानी अर्हता के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने की दशा में ही अधिमानी अर्हता का लाभ अनुमन्य किया जायेगा। सम्बन्धित अभिलेखों के आधार पर उसकी अर्हता के सम्बन्ध में मा0 आयोग द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

(iii) अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन–पत्र में क्षैतिज आरक्षण का दावा किया गया है किन्तु आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है अथवा क्षैतिज आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर न होने/वैध न होने/ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि के पश्चात् का जारी होने के कारण स्वीकार्य नहीं किये जायेगे तथा ऐसे अभ्यर्थी को सन्निरीक्षा टीप में अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।

(iv) अभ्यर्थी द्वारा दावित आरक्षण श्रेणी अथवा अधिकतम आयु सीमा में छूट अथवा विज्ञापन में दावित किसी अन्य तथ्य की पुष्टि हेतु अभ्यर्थी से स्थाई/अधिवास प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। स्थाई/अधिवास प्रमाण–पत्र उपलब्ध न कराने पर अभ्यर्थी को सन्निरीक्षा टीप में अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।

(v) केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने के पूर्व विभागीय अनापत्ति प्रमाण–पत्र हेतु अपने सेवा नियोजक को सूचित करना अनिवार्य है तथा चयन प्रक्रिया में आयोग द्वारा यथा समय मांगे जाने पर अभ्यर्थी को सेवा नियोजक द्वारा निर्गत ''अनापत्ति प्रमाण–पत्र'' प्रस्तुत करना होगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा विभागीय अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थियों को सन्निरीक्षा टीप में औपबंधिक अर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा तथा प्रश्नगत परीक्षा के अंतिम चयन परिणाम घोषित होने तक विभागीय अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में उक्त अभ्यर्थियों का चयन परिणाम औपबन्धिक रूप से घोषित किया जायेगा।

(vi) **यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन–पत्र में अर्हता के सम्बन्ध में किये गये दावों के सापेक्ष प्रस्तुत प्रमाण– पत्रों/अभिलेखों में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो अभ्यर्थी को अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।** अनर्ह अभ्यर्थियों की सूचना आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी। उक्त हेतु सूचना डाक द्वारा प्रेषित नहीं की जायेगी। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचना हेतु विज्ञप्ति राज्य के दैनिक समाचार पत्रों में एवं आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी।

(II) स्क्रीनिंग परीक्षा हेतु निर्देशः–

ऑनलाइन आवेदन–पत्र अधिक संख्या में प्राप्त होने पर साक्षात्कार परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की छंटनी के दृष्टिकोण से आयोग द्वारा स्क्रीनिंग परीक्षा भी आयोजित की जा सकती है। स्क्रीनिंग परीक्षा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्देश निम्नवत् है–

(1) अभ्यर्थियों को प्रवेश–पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु ऑनलाइन प्रवेश–पत्र आयोग की वेबसाइट पर जारी किये जायेंगें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं

जन्मतिथि के आधार पर प्रवेश–पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेगें। इस संबंध में अभ्यर्थियों को सूचना राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट के माध्यम से प्रदान की जायेगी।

(2) स्क्रीनिंग परीक्षा में (वस्तुनिष्ठ प्रकार) का प्रश्न–पत्र होगा तथा प्रश्नों के मूल्यांकन में ऋणात्मक पद्धति अपनाई जायेगी।

(3) **गलत उत्तरों के लिए ऋणात्मक मूल्यांकन –** वस्तुनिष्ठ प्रश्न–पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिए ऋणात्मक मूल्यांकन पद्धति अपनाई जायेगा–

(क) प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए चार विकल्प उत्तर के रूप में रहेगें। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंको का एक चौथाई ऋणात्मक मूल्यांकन के रूप में काटा जायेगा।

(ख) किसी भी प्रश्न का यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उत्तर दिया जाता है, भले ही इनमें उनमें से कोई उत्तर सही ही क्यों न हो तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा, तथा इस हेतु ऋणात्मक मूल्यांकन स्वरुप संबंधित प्रश्न हेतु निर्धारित अंकों का एक चौथाई काटा जायेगा।

(ग) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा।

(4) **<u>उत्तर कुंजी आपत्ति</u>**–स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) के प्रश्न–पत्र से सम्बन्धित औपबन्धिक उत्तरकुंजी/कुंजियों का विवरण परीक्षा समाप्ति के उपरान्त आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जायेगा और अभ्यर्थी उत्तरकुंजी के प्रकाशन की तिथि के 07 दिनों के भीतर किसी प्रश्न व संबंधित उत्तर के संबंध में अपनी आपत्ति आयोग की वेबसाइट पर प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रति–प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क रू0 50.00 का भुगतान करना होगा, जिसे किसी भी दशा में अभ्यर्थियों को वापस नहीं किया जायेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रति–प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है तो ऐसे अभ्यर्थियों की आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। औपबंधिक उत्तर कुंजी (Provisional Answer Key) के सम्बन्ध में प्राप्त ऑनलाइन आपत्तियों का निस्तारण संबंधित विषय–विशेषज्ञों से करवाने के पश्चात् तथा मा0 आयोग द्वारा अनुमोदन उपरान्त निर्मित संशोधित उत्तर कुंजी (Amended Answer Key) आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी। उक्त संशोधित उत्तर कुंजी के सापेक्ष अभ्यर्थियों से निम्न शर्तों के अधीन प्रत्यावेदन प्राप्त किए जायेगें–

(1) अभ्यर्थियों को ई–मेल के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु 05 दिन का समय प्रदान किया जाायेगा।

(2) ऐसे अभ्यर्थी संशोधित उत्तर कुंजी के संबंध में प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, जिनके द्वारा संबंधित प्रश्नों के विरुद्ध औपबंधिक उत्तर कुंजी (Provisional Answer Key) के अन्तर्गत अंतिम तिथि तक विधिवत आपत्ति दर्ज की गई हो।

(3) आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित औपबंधिक उत्तर कुंजी में से किसी प्रश्न के उत्तर विकल्प में परिवर्तन किया गया हो या संशोधित उत्तर कुंजी में किसी प्रश्न का विलोपन (Delete) किया गया हो, उसके संबंध में कोई भी अभ्यर्थी प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

(4) उक्त के अतिरिक्त औपबंधिक उत्तर कुंजी में जिन प्रश्नों/उत्तर विकल्प में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, उन प्रश्नों/उत्तर विकल्प के संबंध में कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(5) अभ्यर्थी उपरोक्त वर्णित शर्तों के अधीन संशोधित उत्तर कुंजी (Amended Answer Key) के सापेक्ष यदि कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत करना चाहते है, तो इस संबंध में **प्रमाणिक पुस्तकों** के साक्ष्यों को संलग्न करते हुए प्रत्यावेदन गोपन अनुभाग–3 की ई–मेल आई0डी0 **Objectiongopan03@gmail.com** पर निर्धारित अंतिम तिथि व समय तक प्रेषित कर सकते हैं। निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले प्रत्यावेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

तद्नुसार संशोधित उत्तर कुंजी के सापेक्ष प्राप्त प्रत्यावेदनों के निस्तारण किए जाने के उपरान्त निर्मित उत्तर कुंजी के आधार पर उत्तर–पत्रकों का मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम घोषित किया जायेगा।

(5) स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में कैलकुलेटर या किसी भी प्रकार के गणना संबंधी उपकरण का प्रयोग वर्जित है।

(6) **अँगूठे का निशान** (Thumb Impression):–
सभी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में उत्तर–पत्रक के निर्धारित स्थान पर दाँये अँगूठे का निशान अवश्य अंकित करेंगे।

(7) **यदि प्रश्न पत्र के किसी प्रश्नांश में प्रत्यक्ष त्रुटि, अस्पष्टता या विसंगति अथवा अंग्रेजी और हिन्दी अनुवाद में विसंगति है, तो ऐसी दशा में अंग्रेजी अनुवाद को मानक माना जाएगा।**

(8) परीक्षा तिथि, समय एवं परीक्षा कार्यक्रम व परीक्षा केन्द्र के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित सूचना आयोग की वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने वाले ऑनलाइन प्रवेश–पत्रों द्वारा प्रदान की जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। केन्द्र परिवर्तन सम्बन्धी कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(9) **स्क्रीनिंग परीक्षा एक क्वालीफाईंग परीक्षा है, जिसके अंक साक्षात्कार के अंकों के साथ जोड़े नहीं जायेंगे।** स्क्रीनिंग परीक्षा का परिणाम आयोग की वेबसाइट **psc.uk.gov.in** पर प्रदर्शित किया जायेगा, जिसकी सूचना विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रदान की जायेगी।

(III) **साक्षात्कार परीक्षा हेतु निर्देशः–**

(1) स्क्रीनिंग परीक्षा में सफल एवं सन्निरीक्षा के क्रम में अर्ह अभ्यर्थियों की ही साक्षात्कार परीक्षा आयोजित की जायेगा।

(2) साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन–पत्र भर कर ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों से संबंधित शैक्षणिक/आरक्षण/अनुभव/विभागीय अनापत्ति इत्यादि के प्रमाण–पत्र संलग्न कर साक्षात्कार तिथि को आयोग के अधिकारियों के समक्ष परीक्षण के लिए प्रस्तुत करने होंगे। अभ्यर्थियों को उक्त आवेदन–पत्र एवं अन्य प्रपत्र आयोग की वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध कराये जायेगें। इस संबंध में विज्ञप्ति प्रकाशित कर अभ्यर्थियों को सूचित किया जायेगा। यदि अभ्यर्थी की अर्हता के संबंध में प्रस्तुत दावे में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(3) आवेदन–पत्र के साथ संलग्न किये गये अभिलेखों का मिलान मूल प्रमाण–पत्रों/अभिलेखों से साक्षात्कार दिवस में साक्षात्कार से पूर्व किया जायेगा, तत्समय अभ्यर्थी को स्व–प्रमाणित पासपोर्ट आकार के दो फोटोग्राफ भी प्रस्तुत करने होंगे।

(4) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अथवा उनके नियंत्रणाधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को आवेदन–पत्र के साथ सेवा नियोजक द्वारा प्रदत्त 'अनापत्ति प्रमाण–पत्र' मूल रुप में अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी।

(5) साक्षात्कार में प्राप्त अंको के आधार पर रिक्त पदों की संख्या के अनुसार मैरिट उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली–2022 (समय–समय पर यथासंशोधित) में निहित प्राविधानों के अनुसार न्यूनतम अर्हता अंक धारित अभ्यर्थियों को प्रवीणता सूची (मेरिट) में रखा जायेगा। चयनित अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन में किये गए दावों की पुष्टि हेतु मूल शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों से मिलान कर सत्यापन के पश्चात् ही चयन संस्तुति शासन को प्रेषित की जायेगी। चयन परिणाम आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा, जिसकी सूचना विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित की जायेगी।

17. **सामान्य निर्देश :–**

(1) अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि विज्ञापन की शर्तों से संतुष्ट हो जाने के पश्चात् ही आवेदन करें और परीक्षा में बैठें।

(2) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें, जब वे संतुष्ट हों कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं।

(3) अधिव्यस्क, अल्पव्यस्क तथा शैक्षिक अर्हता के आधार पर अनर्ह होने अथवा नियमों, प्रक्रिया आदि के उल्लघंन के कारण अस्वीकृत किये जाने वाले आवेदन पत्रों के मामलों में कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(4) अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने आवेदन–पत्र, उपस्थिति सूची आदि में तथा आयोग के साथ समस्त पत्राचार में सभी स्थानों पर उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षर एक जैसे होने चाहिए और उनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर किए गए हस्ताक्षरों में यदि कोई भिन्नता पायी जाती है तो आयोग उसके अभ्यर्थन को रद्द कर सकता है।

(5) जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाये जाएंगे, उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। **अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/अर्हता/पात्रता के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।**

(6) यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता अथवा निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है तो उसका आवेदन–पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।

(7) परीक्षा में अभ्यर्थियों को प्रश्नों के उत्तर स्वयं देने होंगे। दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को शासनादेश संख्याः–374(1)/XXX(2)/2019-30(5)/2014 दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के अनुपालन में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित "दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में दिशा निर्देश" **(परिशिष्ट–5)** के अनुसार श्रुतलेखक की व्यवस्था अनुमन्य होगी। 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता धारित अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किये जाने के संबंध में दिशानिर्देश **(परिशिष्ट–6)** पर उपलब्ध है।

(8) आयोग से किए जाने वाले सभी प्रकार के पत्राचार में अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम के साथ विज्ञापित पद/परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, रजिस्ट्रेशन सं0 तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए।

(9) अभ्यर्थियों को प्रवेश–पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु ऑनलाइन प्रवेश–पत्र आयोग की वेबसाइट पर जारी किये जायेंगें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं जन्मतिथि के आधार पर प्रवेश–पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेगें। इस संबंध में अभ्यर्थियों की सूचना हेतु विज्ञप्ति राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट **psc.uk.gov.in** पर भी सूचना प्रसारित की जायेगी।

(10) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन–पत्र में गलत तथ्यों को जिनकी प्रमाण–पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर आयोग की समस्त परीक्षाओं के लिए प्रतिवारित (डिबार) किया जा सकता है और उसके विरूद्ध आपराधिक दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।

(11) परीक्षा केन्द्र/आयोग परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पैन, ब्लूटूथ डिवाइस, घड़ी अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि वे इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उन पर लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण सहित किसी प्रकार कि प्रतिबन्धित सामग्री न लाएं। **स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में कैलकुलेटर या किसी भी प्रकार के गणना संबंधी उपकरण का प्रयोग वर्जित है।**

(12) **अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धितः** कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी की उत्तर–पुस्तिका से न तो नकल करेगा, न ही नकल करवायेगा और न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा। साथ ही सुसंगत विधि के अंतर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश–पत्र पर पृथक से कुछ भी लिखना/लिखा होना भी अनुचित साधन की श्रेणी में आयेगा।

(13) **कदाचार के दोषी** पाये गए अभ्यर्थियों के विरूद्व Uttarkhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules – 2013 **(प्रथम संशोधन 2016)** के सुसंगत प्राविधानों

के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

(14) **कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्व कार्यवाही:** अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि आवेदन करते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई शोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें तथा न ही फेरबदल किया गया/जाली प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए।

(15) **परीक्षा भवन/आयोग भवन में आचरण:** परीक्षा केन्द्र/कक्ष/आयोग भवन में अभ्यर्थी न तो किसी के साथ दुर्व्यवहार करेंगे और न ही अव्यवस्था फैलायेंगे तथा परीक्षा/साक्षात्कार के संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टॉफ को परेशान भी नहीं करेंगे। ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए आयोग की आगामी परिक्षाओं से प्रतिवारित (Debar) एवं अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है।

(16) अभ्यर्थी को निम्नलिखित कारणों से आयोग द्वारा दोषी घोषित किया जायेगा
1. अग्रलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया गया है, अर्थात् **(क)** गैरकानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, **(ख)** अनुचित दबाव डालना, ,या **(ग)** परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना अथवा तथा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा **2.** नाम बदलकर परीक्षा दी है, अथवा अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से ओ0एम0आर0 उत्तर–प्रत्रक/उत्तर–पुस्तिका में अनुक्रमांक गलत भरा हो अथवा **3.** प्रतिरूपण द्वारा छल करते हुए अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलायी हो कूटरचित प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा भवन में प्रवेश किया हो, अथवा **4.** जाली प्रमाण–पत्र या ऐसे प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किए है, जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा/फेरबदल किया गया हो, अथवा **5.** गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा **6.** परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है, **(क)** गलत तरीके से प्रश्न–पत्र की प्रति प्राप्त करना **(ख)** परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना, **(ग)** परीक्षकों को प्रभावित करना, या **7.** परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या **8.** उत्तर–पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखना, जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हो या अश्लील या भद्दे रेखाचित्र बनाना, अथवा **9.** परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना, जिनमें उत्तर–पुस्तिकाओं का फाड़ना, उत्तर–पुस्तिकाओं को परीक्षा कक्ष से लेकर भाग जाना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसे ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है, अथवा **10.** परीक्षा संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुँचायी हो, या **11.** परीक्षा हॉल/साक्षात्कार कक्ष में परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन/पेजर या आयोग द्वारा वर्जित अन्य किसी प्रकार का इलैक्ट्रॉनिक उपकरण या यन्त्र अथवा संचार यन्त्र के रूप में प्रयोग किये जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, या **12.** परीक्षा की अनुमति देते हुए अभ्यर्थियों को भेजे गये प्रमाण–पत्रों के साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन किया हैं, अथवा **13.** उपर्युक्त खंडो में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयत्न किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, उन पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे **(क)** आयोग द्वारा किसी अभ्यर्थी को उस परीक्षा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है जिसमें वह बैठ रहा है, और/अथवा **(ख)** उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए **(i)** आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जा सकता है **(ii)** राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से प्रतिवारित किया जा सकता है। **(ग)** यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

(17) **न्यूनतम अर्हक अंक :उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रकिया नियमावली–2022 (समय–समय पर यथासंशोधित)** के प्रावधानों के अनुसार प्रश्नगत परीक्षा के विभिन्न चरणों में अभ्यर्थियों को नियमावली द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। न्यूनतम अर्हक अंक धारित करने वाले अभ्यर्थियों को ही मैरिट के आधार पर अगले

चरण हेतु सफल घोषित किया जायेगा। परीक्षा के विभिन्न चरणों हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक **(<u>परिशिष्ट</u>–3)** में उल्लिखित है।

(18) आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि शासन को ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(19) नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति से पूर्व नियमानुसार अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। यह कार्यवाही नियुक्ति से पूर्व सम्बन्धित नियुक्ति अधिकारी/प्राधिकारी द्वारा पृथक से की जाएगी।

(20) अभ्यर्थियों को परीक्षा से सम्बन्धित समस्त सूचना वेबसाइट के माध्यम से अवगत करायी जायेगी। अतः अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट <u>psc.uk.gov.in</u> का समय–समय पर अवलोकन करना सुनिश्चित करें।

(21) विज्ञापित पद हेतु परीक्षा/चयन परिणाम संगत सेवा नियमावली एवं उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रकिया नियमावली–2022 यथा संशोधित में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत ही तैयार किया जायेगा तथा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों की पृष्टि हेतु मूल शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों से मिलान कर सत्यापन के पश्चात् ही चयन संस्तुति शासन को प्रेषित की जायेगी।

-Sd/
(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव

परिशिष्ट–1

अधीक्षिका (महिला कल्याण विभाग) चयन–2025

परीक्षा योजना

(1) **स्क्रीनिंग परीक्षा :–** आवेदन–पत्रों की अधिक संख्या होने पर साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों की छंटनी हेतु स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की जा सकती है। स्क्रीनिंग परीक्षा में 100 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के 02 अंक होंगे। अधिकतम अंक 200 है। समय अवधि 02 घण्टा है।

प्रश्नों की संख्या–100
समय– 2 घण्टे

(2) साक्षात्कार परीक्षाः– 100 अंक

नोटः–(1) अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार के प्राप्तांक से निर्मित मेरिट के आधार पर किया जायेगा। स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक साक्षात्कार परीक्षा के अंकों में जोड़े नहीं जायेंगे।

<u>परिशिष्ट–2</u>

अधीक्षिका (महिला कल्याण विभाग) चयन–2025

<u>स्क्रीनिंग परीक्षा का पाठ्यक्रम</u>

निर्देशः– स्क्रीनिंग परीक्षा का पाठ्यक्रम 20 यूनिट में विभाजित है।

<u>इकाई–01</u>

(अ) समाजशास्त्र तथा समाज कार्यः– अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, विषय–क्षेत्र एवं इसका महत्व, ऐतिहासिक विकास

(ब) मौलिक अवधारणायें– समाज, समुदाय, सामाजिक समूह एवं समूह निर्माण, समिति, सामाजिक संरचना, संस्कृति, सामाजीकरण, प्रस्थिति तथा भूमिका, सामाजिक नियंत्रण

<u>इकाई–02</u>

(अ) सामाजिक प्रक्रियायें–
सहयोगात्मक प्रक्रियायें– सहयोग, समायोजन, सात्मीकरण
असहयोगात्मक प्रक्रियायें– प्रतियोगिता, संघर्ष,
सामाजिक गतिशीलता
सामाजिक स्तरीकरण

(ब) सामाजिक संस्थायें– विवाह, परिवार, नातेदारी, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक तथा धार्मिक

<u>इकाई–03</u>

(अ) सामाजिक अनुसंधानः अर्थ, प्रकार तथा महत्व; वैज्ञानिक पद्धति, चर/परिवर्त्य, सामाजिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता की समस्या

(ब) शोध प्रारूप : अर्थ एवं प्रकार; उपकल्पना तथा निदर्शन प्रक्रिया; तथ्य संकलन की प्रविधियाँ; अवलोकन, प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार

<u>इकाई–04</u>

(अ) गुणात्मक पद्धतियाँः सहगामी अवलोकन, वैयक्तिक अध्ययन विधि, सर्वेक्षण विधि, क्षेत्र अध्ययन, पैनल स्टडी, अंतर्वैषयिक अनुसंधान

(ब) सामाजिक अनुसंधान में सांख्यिकीः अर्थ तथा प्रकृति, उपयोगिता; केन्द्रीय प्रवृतियों की मापः माध्य, माध्यिका तथा बहुलक

अपकिरण के माप (परास/विस्तार, चतुर्थक विचलन, माध्य विचलन, मानक विचलन) सामाजिक अनुसंधान में संगणक की उपयोगिता

इकाई–05

(अ) भारत में सामाजिक वर्गः कृषक वर्ग संरचना, औद्योगिक वर्ग संरचना, भारत में मध्यम वर्ग

(ब) भारत में जनजातीय जनसंख्याः जनजातियों का भौगोलिक वितरण, जनजाति सम्बन्धित विभिन्न कल्याणकारी नीतियां

इकाई–06

(अ) भारत में नातेदारी व्यवस्थाः– नातेदारों के प्रकार एवं वर्गीकरण, नातेदारी–रीतियां, परिवार एवं विवाह

(ब) भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं चुनौतियाँः विकास के नियोजन का विचार तथा आर्थिक व्यवस्था के प्रकार

इकाई–07

(अ) परिवर्तन की प्रक्रियायेंः संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण, स्थानीयकरण, सार्वभौमिकीकरण

(ब) सामाजिक आन्दोलनः सुधार आन्दोलन, कृषक आन्दोलन, पिछड़ा वर्ग तथा दलित आन्दोलन, पर्यावरण संरक्षण आन्दोलन

इकाई–08

(अ) भारत में नगरीकरणः आधुनिक नगरों का उद्‌विकास, भारत में नगरीय बसाहट में वृद्धि एवं मलिन बस्तियाँ। बाल उत्पीड़न, तस्करी तथा देह व्यापारः प्रकृति, उन्मूलन (शासकीय एवं स्वैच्छिक संस्थाओं (एन0जी0ओ0) के प्रयास)

(ब) भारत में समकालिक मुद्‌देः महिलाओं के विरूद्ध हिंसा, जातीय संघर्ष, संजातीय संघर्ष, सांप्रदायिकता, आतंकवाद।

इकाई–09

(अ) दरिद्रता एवं बेरोजगारी, वृद्धावस्था की समस्यायें तथा अर्न्तपीढ़ी–संघर्ष, दिव्यांगों की समस्यायें, दहेज, तलाक

(ब) अतिजनसंख्या की समस्या, विस्थापन, पारिस्थितिकीय क्षरण तथा पर्यावरणीय प्रदूषण, आपदा–प्रबंधन, स्वास्थ्य समस्यायें

इकाई–10

(अ) सामाजिक विचलन एवं इसके कारक, अपराध एवं भ्रष्टाचार, अपराध एवं अपराधियों की परिवर्तनशील पृष्ठभूमि, बाल अपराध

(ब) मादक द्रव व्यसन, आत्महत्या, बाल–श्रम, एड्स तथा एच आई वी

इकाई–11

(अ) कृषिक संस्थायें, भूमि स्वामित्व एवं इसके प्रकार, कृषक सम्बन्ध एवं उत्पादन के तरीके, जजमानी व्यवस्था तथा जजमानी सम्बन्ध

(ब) पंचायती राज संस्थाः पंचायत 73वें संशोधन से पूर्व एवं पश्चात् ग्रामीण नेतृत्व एवं गुटबन्दी

इकाई–12

(अ) बँधुआ मजदूरः– प्रवासी श्रमिकों की समस्यायें, दरीद्रीकरण एवं गैर–किसानीकरण, कृषक असन्तोष।

(ब) ग्रामीण समाज में परिवर्तन के रूझान, ग्रामीण समाज में अंतः एवं बाह्य प्रव्रजन, परिवर्तन के कारक तथा ग्रामीण संस्थाओं पर प्रभाव

इकाई–13

(अ) औद्योगिक समाजशास्त्र का अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र; भारत में औद्योगिकरण का इतिहास, श्रम विभाजन, नौकरशाही, उत्पादन सम्बन्ध, अतिरिक्त मूल्य एवं अलगाव

(ब) समाज व्यवस्था के रूप में कारखाना, औपचारिक तथा अनौपचारिक संगठन, परिवार, विवाह एवं जाति व्यवस्था पर औद्योगिकरण का प्रभाव

इकाई–14

(अ) श्रम के बदलते परिदृश्य, औद्योगिक विवाद एवं समाधानः समझौता, न्यायिक निर्णय, मध्यस्थता; सामूहिक सौदेबाजी, समकालीन भारत में श्रम संगठन

(ब) औद्योगिक नीति, श्रम कल्याण अधिनियम, उद्योग में मानवीय सम्बन्ध

इकाई–15

(अ) सामाजिक निर्मिति के रूप में लिंग, लिंग आधारित सामाजीकरण के प्रारूप, सांस्कृतिक प्रतीकवाद एवं लैंगिक भूमिका में

(ब) पितृसत्तात्मक एवं मातृसत्तात्मक व्यवस्थाः श्रम विभाजन–उत्पादन एवं पुनरोत्पादन, लिंग सम्बन्ध के विभिन्न सिद्धान्त

इकाई–16

(अ) भारत में नारी प्रस्थिति के सूचकांकः जनांकिकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक; भारत में नारी–विकास, की विशिष्ट योजनायें एवं रणनीतियाँ, भारत में नारी सशक्तीकरण

(ब) भारत में स्वैच्छिक संगठन एवं नारी विकास: वैश्वीकरण एवं नारी विकास लिंग सम्बन्धों पर लिंग आधारित योजनाओं का प्रभाव

इकाई–17

(अ) सामाजिक विकास, आर्थिक वृद्धि, मानवीय विकास, सम्पोषक विकासः अर्थ एवं सूचक

(ब) सामाजिक संरचना एवं विकास: एक सहायक/अवरोधक, विकास एवं सामाजिक–आर्थिक विषमताएँ, लिंग एवं विकास

इकाई–18

(अ) संस्कृति तथा विकास: एक उत्पादन/अवरोध के रूप में, विकास एवं परम्परा उच्छेदन, विकास एवं संजातीय आन्दोलनों का उद्भव

(ब) भारत में ग्रामीण एवं नगरीय रूपान्तरण: ग्रामीण एवं नगरीय विकास के कार्यक्रम, दरिद्रता उन्मूलन योजनाएँ, श्रमिकों की समस्यायें

इकाई–19

(अ) जनसंख्या अध्ययन: अर्थ एवं क्षेत्र; जनसंख्या का आकार, रचना तथा वितरण

(ब) प्रजननता, मृत्युक्रम एवं प्रवास: कारक, मापन तथा अधुनातन रूझान

इकाई–20

(अ) जनसंख्या शिक्षा, नियोजित पितृत्व, भारत में जनसंख्या नीति एवं जनसंख्या नियंत्रण हेतु किये गये उपाय

(ब) भारतीय समाज में समकालिक जनांकिकीय मुद्दे–गिरता हुआ लिंग अनुपात, शिशु मृत्यु दर, प्रजनन स्वास्थ्य, वृद्धजनों की समस्यायें

SYLLABUS OF SCREENING EXAMINATION

Directions:- The syllabus is divided into 20 units.

UNIT-I

A. Sociology And Social Work**:-**Meaning, Definition, Nature, Scope and its Significance; Historical Development.

B. Basic Concepts**:-** Society, Community, Social Group and Group Formation, Association, Social Structure, Culture, Socialization, Status and Role, Social Control.

UNIT-II

A. Social Processes:-
Associative Process**:** Cooperation, Accommodation, Assimilation,
Dissociative Process: Competition, Conflict.
Social Mobility
Social Stratification

B. Social Institutions:-
Marriage, Family, Kinship, Economy, Polity, Education and Religion,

UNIT-III

A. Social Research :- Meaning , Types and Significance;
Scientific Method, Variables, Problems of Objectivity in Social Research.

B. Research Design:-Meaning and Types; Hypothesis and Sampling Procedure; Techniques of Data Collection; Observation, Questionnaire, Schedule, Interview.

UNIT-IV

A. Qualitative Methods:-
Participant Observation, Case Study Method, Survey Method, Field Work; Panel Study, Interdisciplinary Research.

B. Statistics In Social Research:- Meaning and Nature, Utility; Measures of Central Tendency**:** Mean, Median and Mode. Measures of Dispersion (Range, Quartile Deviation, Mean Deviation, Standard Deviation); Usefulness of Computer in Social Science Research.

UNIT-V

A. Social Classes in India: Agrarian Class Structure, Industrial Class Structure, Middle Class in India.

B. Tribal Population in India: Geographical Distribution of Tribes, Different Welfare Policies related to Tribes.

UNIT-VI

A. System of Kinship in India: Types and classification of Kins, Kinship usages, Family and Marriage.

B. Social Change and Challenges in India: Idea of Development Planning and Types of Economy.

UNIT-VII

A. Processes Of Change: Sanskritization, Modernization, Globalization, Parochialization and Universalization.

B. Social Movement: Reform Movement, Peasant Movement, Backward Classes and Dalit Movements and Environmental Protection Movement.

UNIT-VIII

A. Urbanization In India: Evolution of Modern Cities. Growth of Urban Settlements and Slums in India, Child Abuse and Trafficking**;** Nature, Eradication (Governmental and NGO's efforts)

B. Contemporary Issues In India: Violence against Women, Caste Conflicts, Ethnic Conflicts, Communalism, Terrorism.

UNIT-IX

A. Poverty and Unemployment, Old Age Problems and Intergenerational Conflict, Problems of Disabled, Dowry, Divorce.

B. Problems Of Over Population, Displacement, Ecological Degradation and Environmental Pollution and Disaster Management, Health Problem.

UNIT-X

A. Social Deviance and its Factors, Crime and Corruption, Changing Profile of Crime and Criminals, Juvenile Delinquency.

B. Drug Addiction, Suicide, Child Labour, AIDS and HIV.

UNIT-XI

A. Agrarian Institution, Land Ownership and its Type, Agrarian Relation and Mode of Production, Jajmani System and Jajmani Relation.

B. Panchayati Raj Institution: Panchayat before and after 73^{rd}Amendment, Rural Leadership and Factionalism.

UNIT-XII

A. Bonded Labour, Problem of Migrant Labourers, Pauperization and De-Peasantization, Agrarian unrest.

B. Trends of Change in Rural Society, In and Out Migration, Factors of Change and Impact on Rural Institutions.

UNIT-XIII

A. Meaning, Nature and Scope of Industrial Sociology; History of Industrialization in India, Division of Labour, Bureaucracy, Production Relation, Surplus Value and Alienation.

B. Factory as a Social System. Formal and Informal Organization. Impact of Industrialization on Family, Marriage and Caste System.

UNIT-XIV

A. Changing Profile of Labour, Industrial Dispute and Resolution-Conciliation, Adjudication and Arbitration. Collective Bargaining, Trade Union in Contemporary India.

B. Industrial Policy, Labour Welfare Legislations, Human Relations in Industry.

UNIT-XV

A. Gender as a Social Construct, Models of Gendered Socialization, Cultural Symbolism and Gender Roles.

B. Patriarchy and Matriarchy System, Division of Labour Re-production and Production; Different Theories of Gender Relation.

UNIT-XVI

A. Indicators of Women Status in India**:** Demographic, Social, Cultural and Economic; Special Scheme and Strategy to Women's Development in India. Empowerment of Women in India.

B. Voluntary Sector and Women Development in India: Globalization and Women Development, Effect of Gender Policies on Gender Relations.

UNIT-XVII

A. Social Development, Economic Growth, Human Development, Sustainable Development: Meaning and Indicators.

B. Social Structure and Development: As a facilitator/Inhibitor, Development and Socio Economic Disparities, Gender and Development.

UNIT-XVIII

A. Culture and Development: As an Aid/Impediment, Development and Displacement of Tradition, Development and Upsurge of Ethnic Movements.

B. Rural and Urban Transformation in India, Program of Rural and Urban Development, Poverty Alleviation Schemes, Problems of Labour.

UNIT-XIX

A. Population Studies- Meaning and Scope; Population Size, Composition and Distribution.

B. Fertility, Mortality and Migration: Factors, Measurement and Recent Trends.

UNIT-XX

A. Population Education, Planned Parenthood, Population Policy and Measures Taken for Population Control In India.

B. Contemporary Demographic issues in Indian Society- Declining Sex Ratio, Infant Mortality, Reproductive Health, Problem of Elderly People.

परिशिष्ट–3

अधीक्षिका (महिला कल्याण विभाग) चयन–2025

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली, 2022 (यथा संशोधित) में वर्णित प्राविधान के तहत अनारक्षित श्रेणी हेतु निम्नानुसार न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करना अनिवार्य है:–

1) साक्षात्कार परीक्षाः–

क्र0 सं0	**श्रेणी / उपश्रेणी**	**साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर अंतिम चयन परिणाम हेतु न्यूनतम अर्हक अंक (प्रतिशत में)।**
1.	अनारक्षित श्रेणी एवं सम्बन्धित उपश्रेणी	45%

2) स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित कराये जाने की दशा में उक्त परीक्षा हेतु अनारक्षित श्रेणी हेतु निम्नानुसार न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करना अनिवार्य है:–

क्र0 सं0	**श्रेणी / उपश्रेणी**	**स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) का परिणाम तैयार किए जाने हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक (प्रतिशत में)।**
1.	अनारक्षित श्रेणी एवं सम्बन्धित उपश्रेणी	35%

नोट :: सम्बन्धित श्रेणी के सापेक्ष अभ्यर्थियों को उक्तानुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक (प्रतिशत में) प्राप्त करने पर ही प्रवीणता–सूची (MERIT) हेतु विचारित किया जायेगा।

<u>परिशिष्ट–4</u>

उत्तराखण्ड राज्य की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण–पत्रों के प्रारूप

1. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण–प्रपत्र

(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री .... निवासी ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला .... उत्तराखण्ड की ....जाति के व्यक्ति है, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 (जैसा कि समय–समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जनजाति उ0प्र0) आदेश 1967, जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी ....तथा अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम ....तहसील ....नगर ....जिला .... में सामान्यतया रहता है।

स्थान :

दिनांक :

मुहर :

हस्ताक्षर ....

पूरा नाम ....

पदनाम ....

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार /जिला समाज कल्याण अधिकारी।

2. उत्तराखण्ड राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण–पत्र

(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी .... सुपुत्र / पत्नी / सुपुत्री श्री .... निवासी ग्राम .... तहसील ....नगर .... जिला .... उत्तराखण्ड के राज्य की .... पिछड़े जाति के व्यक्ति है। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम,1994) जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, की अनुसूची–1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त हैं। उक्त अधिनियम,1994 की अनुसूची–2 से अधिसूचना संख्या–22 / 16 / 92–का–2 / 1995 टी.सी. दिनांक 08 दिसम्बर,1995 द्वारा यथा संशोधित से आच्छादित नहीं हैं।

श्री / श्रीमती / कुमारी .... तथा अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला ....में सामान्यतया रहता है।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर ....

पूरा नाम ....

पदनाम ....

मुहर ....

जिलाधिकारी / अपर जिला मजिस्ट्रेट / सिटी मजिस्ट्रेट / उप जिला मजिस्ट्रेट / तहसीलदार / जिला समाज कल्याण अधिकारी।

3. उत्तराखण्ड राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण–पत्र

शासनादेश संख्या 4/23/1982–2/1997, दिनांक 26 दिसम्बर,1997
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)
प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री .... निवासी ग्राम ....तहसील .... नगर .... जिला ....उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में लागू हैं, के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित) .... पुत्र/पुत्री/पौत्र (पुत्र का पुत्र) और पौत्री (पुत्र की पुत्री)/(विवाहित/अविवाहित) और पुत्री के पुत्र/पुत्री उपयांकित अधिनियम, 1993 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती/(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित हैं।

स्थान :

हस्ताक्षर ....

दिनांक :

पूरा नाम...................................

पदनाम ....

मुहर ....

जिलाधिकारी ....

(सील) ....

4. उत्तराखण्ड राज्य के दिव्यांगजन के लिए प्रमाण–पत्र

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण पत्र संख्या – .... तारीख ....

.**निःशक्तता प्रमाण–पत्र**

चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा विधिवत प्रमाणित उम्मीदवार का हाल का फोटो जो उम्मीदवार की निःशक्तता दर्शाता हो।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0.. सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री ....आयु .... लिंग ....पहचान चिन्ह ....निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त है।

क. गति विषयक (लोकोमोटर) अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फॉलिज)

(प) दोनों टांगें (बी एल) – दोनों पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं

(पप) दोनों बांहें (बी ए) – दोनों बांहें प्रभावित (क) दुर्बल पहुँच

(ख) कमजोर पकड़

(पपप) दोनों टांगें और बांहें (बी एल ए)–दोनों टॉगें और दोनों बाहें प्रभावित

(पअ) एक टांग (ओ एल) – एक टांग प्रभावित (दायां या बायां)

(क) दुर्बल पहुँच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(**v**) एक बांह (ओ ए) – एक बांह प्रभावित

(क) दुर्बल पहुँच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(**vi**) पीठ और नितम्ब (बी एच) – पीठ और नितम्ब में कड़ापन (बैठ और झुक नहीं सकते)

(**vii**) कमजोर मांस पेशियां (एम डब्लू) – मांस पेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति।

ख. अंधापन अथवा अल्प दृष्टि –

(प) बी – अंधता

(पप) पी बी – ऑशिक रुप से अंधता

ग. कम सुनाई देना

(प) डी–बधिर

(पप) पी डी – ऑशिक रुप से बधिर

(उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)

2. यह स्थिति में प्रगामी है/गैर प्रगामी है/इसमें सुधार होने की सम्भावना है/सुधार होने की सम्भावना नहीं है। इस मामले का पुनर्निधारण किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती। ....वर्ष .... महीनों की अवधि के पश्चात् पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है। '

3. उनके मामले में निःशक्तता का प्रतिशत .... है।

4. श्री/श्रीमती/कुमारी   अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते/करती हैः–

(i) एफ–अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/सकती हैं। हाँ/नहीं

(ii) पी पी–धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। हाँ/नहीं

(iii) एल–उठाने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। हाँ/नहीं

(iv) के सी–घुटनों के बल झुकन और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। हाँ/नहीं

(v) बी–झुक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। हाँ/नहीं

(vi) एस–बैठ कर कार्य कर सकते/सकती हैं। हाँ/नहीं

(vii) एस टी–खड़े होकर कार्य कर सकते/सकती हैं। हाँ/नहीं

(viii) डब्लू–चलते हुए कर कार्य कर सकते/सकती हैं। हाँ/नहीं

(ix) एस ई–देख कर कार्य कर सकते/सकती हैं। हाँ/नहीं

(x) एच–सुनने/बोलने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। हाँ/नहीं

(xi) आर डब्लू–पढ़ने और लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। हाँ/नहीं

डा0..)	(डा0..)	(डा0..)
सदस्य	सदस्य	सदस्य
चिकित्सा बोर्ड	चिकित्सा बोर्ड	चिकित्सा बोर्ड

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित

(मुहर सहित)

* जो लागू न हो काट दें।

परिशिष्ट–5

शासनादेश संख्याः 374(1)/XXX(2)/2019–30(5)/2014 दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के अनुपालन में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में मार्गदर्शिका सिद्धांत :–

1. आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली स्क्रीनिंग/प्रारंभिक/लिखित परीक्षा में Benchmark विकलांगता धारित अभ्यर्थी जो Blindness (अंधता), locomoter disability (Both arm affected-BA) (चलनक्रिया (दोनों हाथ प्रभावित)) तथा cerebral palsy (मस्तिष्क घात)से ग्रस्त हैं तथा इसके अतिरिक्त वे समस्त अभ्यर्थी, जो देश के किसी भी क्षेत्र में अवस्थित सक्षम स्वास्थ्य प्राधिकारी (मुख्य चिकित्साधिकारी/शल्य चिकित्सक/चिकित्सा अधीक्षक) द्वारा निर्गत **परिशिष्ट–5(1)** प्रारूप में प्रमाण पत्र धारित करते हैं, को श्रुतलेखक की सुविधा प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा उक्त का दावा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में करना होगा। परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को **परिशिष्ट–5(1)** की प्रति, श्रुतलेखक से संबंधित **परिशिष्ट–5(2)** की प्रति एवं श्रुतलेखक की दो आवक्ष फोटो को आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।

2. अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन–पत्र में उल्लेख करना होगा कि श्रुतलेखक की सुविधा आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जानी है अथवा अभ्यर्थी द्वारा स्वतः श्रुतलेखक की व्यवस्था की जाएगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा स्वयं श्रुतलेखक को लाने का दावा किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को **परिशिष्ट–5(1)** की प्रति, श्रुतलेखक से संबंधित **परिशिष्ट–5(2)** की प्रति एवं श्रुतलेखक की दो आवक्ष फोटो को आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।

3. यदि अभ्यर्थी द्वारा श्रुतलेखक की सुविधा हेतु आयोग से अनुरोध किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को **परिशिष्ट–5(1)** प्रमाण–पत्र की प्रति आयोग कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी तथा श्रुतलेखक की समीक्षा/सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए श्रुतलेखक से परीक्षा तिथि से दो दिन पूर्व मिलवाया जाएगा तथा अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र प्रत्येक दशा में परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार होगा।

4. श्रुतलेखक की शैक्षिक योग्यता प्रश्नगत पद की अनिवार्य शैक्षिक योग्यता से एक स्तर कम होगी किंतु किसी भी दशा में हाईस्कूल से न्यून नहीं होगी। दिव्यांग अभ्यर्थी को विभिन्न भाषा विषय/प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक अनुमन्य किया जा सकता है, किंतु एक विषय/प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं किया जाएगा।

5. दिव्यांग अभ्यर्थी की परीक्षा (प्रारंभिक/स्क्रीनिंग/लिखित) आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रारूप पर नहीं ली जाएगी और न ही प्रश्न–पत्र के प्रारूप में किसी प्रकार का संशोधन किया जाएगा।

6. कम्प्यूटर आधारित परीक्षाओं हेतु विकलांगता धारित अभ्यर्थियों को परीक्षा तिथि से एक दिन पूर्व कम्प्यूटर सिस्टम के निरीक्षण की सुविधा दी जाएगी। आयोग द्वारा अभ्यर्थी को कम्प्यूटर परीक्षा हेतु स्वयं का केवल की–बोर्ड तथा माउस लाने की अनुमति दी जाएगी।

7. श्रुतलेखक की सुविधायुक्त दिव्यांग अभ्यर्थियों को 20 मिनट प्रति घण्टे का क्षतिपूर्ति समय प्रदान किया जाएगा। एक घण्टे से कम समय हेतु क्षतिपूर्ति समय 20 मिनट प्रति घण्टे के अनुपात में निर्धारित किया जाएगा जो कि 5 मिनट से कम नहीं होगा तथा 5 मिनट के गुणांक में होगा।

8. जिन परीक्षाओं में केलकुलेटर की सुविधा अनुमन्य होगी, उन परीक्षाओं हेतु दिव्यांग अभ्यर्थियों को talking calculator की सुविधा प्रदान की जाएगी तथा श्रुतलेखक व अभ्यर्थी के मध्य संचार हेतु उपयोग में लाई जाने वाले उपकरण जैसे (trailor frame, Braille slate, abascus, geometry kit, communication devices etc.) भी परीक्षा हेतु अनुमन्य होंगे ;उपरोक्त सभी उपकरण अभ्यर्थी द्वारा स्वयं लाये जायेंगे)।

9. दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र पर प्रत्येक दशा में भू–तल के निर्धारित परीक्षा–कक्ष में बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

परिशिष्ट–5(1)

Certificate regarding physical limitation in an examinee to write

This is to certify that, I have examined Mr/Ms/Mrs ………………….. (name of the candidate with disability), a person with ………………….. (nature and percentage of disability as mentioned in the certificate of disability), S/o/D/o ………………….., a resident of …………………..(Village/District/State) and to state that he/she has physical limition which hampers his/her writing capabilities owing to his/her disability.

Signature

Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Medical Superintendent of a Government Health care institution

(Name & Designation)

Name of Government Hospital/Health Care Centre with Seal:

Place:

Date:

Note: Certificate should be given by a specialist of the relevant stream/disability (eg. Visual impairment- Ophthalmologist, Locomotor disability Orthopedic specialist/PMR)

परिशिष्ट–5(2)

Letter of Undertaking for using own Scribe

I ………………….., a candidate with ………………….(name of the disability) appearing for the ………………….(name of the examination) bearing Roll No. …………………. at ………………….(name of the centre) in the District …………………. (name of the State). My qualification is ………………….

I do hereby state that …………………. (name of the scribe) will provide the service of scribe/reader/lab assistant for the undersigned for taking the aforesaid examination.

I do hereby undertake that his qualification is …………………. In case, subsequently it is found that his qualification is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification, I shall forfeit my right to the post and claims relating thereto.

(Signature of the candidate with disability)

Place:

Date:

परिशिष्ट–6

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2(s) से आच्छादित किन्तु अधिनियम की धारा 2(r) से अवमुक्त अर्थात 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता धारित ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें लिखने में कठिनाई है, को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किये जाने हेतु दिशा निर्देश

1. आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली स्क्रीनिंग/प्रारंभिक/लिखित परीक्षा में श्रुतलेखक एव/या क्षतिपूर्ति समय की सुविधा लिखने में असमर्थ केवल ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्रदान की जाएगी जिनके द्वारा **परिशिष्ट–6(1)** पर निर्धारित प्रारूप पर राजकीय चिकित्सालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा कि अभ्यर्थी लिखने में असमर्थ है तथा अभ्यर्थी को परीक्षा हेतु श्रुतलेखक की आवश्यकता है।

2. श्रुतलेखक की अनुमन्यता के सबंध में प्रेषित किया जाने वाला **परिशिष्ट–6(1)** पर निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण–पत्र निम्नवत गठित बहु–सदस्यीय समिति द्वारा निर्गत किया जाना अनिवार्य है–

i. Chief Medical officer/Civil Surgeon/Chief District Medical Officer..... अध्यक्ष
ii. Orthopaedic/PMR specialist
iii. Neurologist (उपलब्धता के आधार पर)
iv. Clinical Psychologist/Rehabilitation Psychologist/ Psychiatrist/ Special Educator
v. Occupational therapist. (उपलब्धता के आधार पर)
vi. समिति के अध्यक्ष द्वारा अभ्यर्थी की स्थिति के आधार पर नामित अन्य कोई सदस्य।

3. अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेख करना होगा कि अभ्यर्थी द्वारा स्वतः श्रुतलेखक की व्यवस्था की जाएगी अथवा श्रुतलेखक आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

यदि अभ्यर्थी द्वारा श्रुतलेखक की सुविधा हेतु आयोग से अनुरोध किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व तक अभ्यर्थी को **परिशिष्ट–6(1)** प्रमाण–पत्र आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा तथा श्रुतलेखक की समीक्षा/सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को श्रुतलेखक से परीक्षा तिथि से दो दिन पर्वू मिलवाया जाएगा। उक्त स्थिति में अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र प्रत्येक दशा में हरिद्वार होगा।

4. श्रुतलेखक की शैक्षिक योग्यता सबंधित परीक्षा हेतु निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता से एक स्तर कम होगी किन्तु किसी भी दशा में हाई स्कूल से न्यून नहीं होगी।

स्वतः श्रुतलेखक की व्यवस्था किये जाने पर अभ्यर्थी को परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व तक श्रुतलेखक की 02 आवक्ष फोटो एवं 01 पहचान–पत्र के साथ **परिशिष्ट–6(2)** प्रमाण–पत्र एवं **परिशिष्ट–6(1)** प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

5. अभ्यर्थी को अपरिहार्य परिस्थितियों में श्रुतलेखक को परिवर्तित किये जाने की सुविधा उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी को विभिन्न भाषा विषय/प्रश्नपत्र में पृथक–पृथक श्रुतलेखक अनुमन्य किया जा सकता है, किन्तु एक विषय/प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक किसी भी दशा मे ं अनुमन्य नहीं किया जाएगा।

6. अभ्यर्थी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत **परिशिष्ट–6(1)** प्रमाण–पत्र के बिन्दु संख्या–2 में अनुमोदित ऐसे सहायक उपकरणों के प्रयोग की अनुमति होगी, जिससे परीक्षा की शुचिता प्रभावित नहीं होती हो।

7. श्रुतलेखक हेतु अर्ह अभ्यर्थियों को 20 मिनट प्रति घण्टे का क्षतिपूर्ति समय प्रदान किया जाएगा। एक घण्टे से कम समय हेतु क्षतिपूर्ति समय 20 मिनट प्रति घण्टे के अनुपात में निर्धारित किया जाएगा जो 5 मिनट से कम नहीं होगा तथा 5 मिनट के गुणांक में होगा।

8. श्रुतलेखक हेतु अर्ह अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा केन्द्र के भू–तल पर निर्धारित परीक्षा–कक्ष में बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

9. उक्त दिशा–निर्देश शासनादेश सख्या : 374(1)/XXX(2)/2019–30(5)/2014 दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के अनुपालन में आयोग द्वारा अनुमोदित दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किये जाने संबधी मार्गदर्शिका सिद्धांत दिनांक 09 जून, 2020 से पृथक होगें।

परिशिष्ट–6 (1)

Appendix-6 (1)

Certificate for person with specified disability covered under the definition of Section 2 (s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2 (r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing

This is to certify that, we have examined Mr./Ms./Mrs.……………………………………….(name of the candidate), s/o /D/o ……………………………….a resident of ……………………………………………………………………… …………………………. (Vill/PO/PS/District/State), aged……… yrs. a person …………(nature of disability/condition), and to state that he/she with has limitation which hampers his/her writing capability owing to his/her above condition. He/she requires support of scribe for writing the examination.

2. The above candidate uses aids and assistive device such as prosthetics & orthotics, hearing aid (name to be specified) which is/are essential for the candidate to appear at the examination with the assistance of scribe.

3. This certificate is issued only for the purpose of appearing in written examinations conducted by recruitment agencies as well as academic institutions and is valid unto ______ (it is valid for maximum period of six months or less as may be certified by the medical authority)

Signature of medical authority

(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)
Orthopedic/ PMR specialist	Clinical Psychologist/ Rehabilitation Psychologist/psychiatrist/ Special Educator	Neurologist (if available)	Occupational therapist (if available)	Other Expert, as nominated by the Chairperson (If any)
(Signature & Name)				
Chief Medical Officer/ Civil Surgeon/Chief District Medical Officer…………… Chairperson				

Name of Government Hospital/Health Care Centre with seal

Place:

Date:

परिशिष्ट–6 (2)
Appendix-6 (2)

Letter of Undertaking by the person with specified disability covered under the definition of Section 2 (s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2 (r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing.

I____________________, a candidate with______________(nature of disability/condition) appearing for the ________________(name of the examination) bearing Roll No. _____________________at________________(name of the center) in the District ____________,___________(name of the State). My educational qualification is _______________.

2. I do hereby state that____________________ (name of the scribe) will provide the service of scribe for the undersigned for taking the aforementioned examination.

3. I do hereby undertake that his qualification is_______________. In case subsequently it is found that his qualifications is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification. I shall forfeit my right to the post or certificate/diploma/degree and claims relating thereto.

(Signature of the candidate)

(Counter signature by the parent/guardian, if the candidate is minor)

Place:

Date:

परिशिष्ट–7

अधीक्षिका (महिला कल्याण विभाग) चयन–2025

Check List

पदनाम– अधीक्षिका (महिला) **अनुक्रमांक–**

क्र0सं0	**प्रमाण पत्रों/अभिलेखों का विवरण**	**संलग्न है अथवा नहीं (हां/नहीं)**
01	ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति।	
02	हाईस्कूल प्रमाण–पत्र/अंकतालिका	
03	स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की अंकतालिका	
04	स्नातकोत्तर उपाधि	
05	अधिमानी अर्हता से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की विधि स्नातक की उपाधि (2) सामाजिक कार्य का व्यावहारिक अनुभव (**परिशिष्ट–9** पर उपलब्ध प्रारूप पर) **नोट**–(1) उत्तराखण्ड शासन, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग–2 के पत्र संख्या–187/XVII-2/25-01(34)/2009/ई–8998 दिनांक 29 अप्रैल, 2025 के क्रम में अधिमानी अर्हता के बिन्दु–2 में वांछित ''सामाजिक कार्य का व्यावहारिक अनुभव'' हेतु निम्नानुसार अनुभव प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा :– **महिला/बालकों की शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं समग्र विकास के साथ–साथ संस्था के समग्र प्रबन्धन तथा नैतिक मामलों का पर्यवेक्षण, विनियमों और सर्वोत्तम प्रथाओं का अनुपालन करने संबंधी क्षेत्र में सामाजिक कार्य का 01 वर्ष का (सरकारी/गैरसरकारी/अर्द्ध सरकारी/निजी संस्था से) व्यावहारिक अनुभव।**	
06	स्थायी निवास प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)	
07	अधिकतम आयुसीमा में छूट लेने की स्थिति में सम्बन्धित प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी/दिव्यांगता/भूतपूर्व सैनिक सम्बन्धी प्रमाण–पत्र	
08	केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन कार्यरत अभ्यर्थी को सेवा नियोजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र या सेवानियोजक को अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु प्रेषित प्रार्थना पत्र (यदि लागू हो)	
09	अभ्यर्थी के नाम/पिता/पति (वैवाहिक होने की स्थिति में) के नाम विभिन्न प्रमाणपत्रों में साम्य न हो तो उक्त के संबंध में स्वघोषणा प्रपत्र मूल रूप में। **(परिशिष्ट–8 पर उपलब्ध प्रारूप पर)**	
10	पासपोर्ट साइज के 02 नवीनतम स्वप्रमाणित फोटोग्राफ।	
11	अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन हेतु पहचान पत्र यथा–आधार कार्ड/वोटर कार्ड/ड्राइविंग लाईसेंस आदि मूल रूप से तथा स्वप्रमाणित छायाप्रति।	

* यह स्पष्ट किया जाता है कि मा0 आयोग अंक–तालिकाओं को सम्बन्धित परीक्षा के मूल प्रमाण–पत्र अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं और केवल अंक–तालिकाओं के आधार पर आपको सम्बन्धित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। जिन परीक्षाओं के परीक्षाफल हाल में प्रकाशित हुये हों और परीक्षा संस्था (Examining Body) ने नियमित प्रमाण–पत्र (Certificate) अथवा उपाधि (Degree) नहीं दिये हों, उनके लिए औपबन्धिक प्रमाण–पत्र (Provisional Certificate) मूल प्रमाण–पत्र के स्थान पर जमा करना होगा।

*यदि अनिवार्य शैक्षिक अर्हता से सम्बन्धित औपबन्धिक प्रमाण–पत्र/उपाधि (Provisional Degree Certificate) प्रस्तुत की गई हो, तो ऐसी उपाधि उसमें उल्लिखित अवधि के अनुसार ही वैध माना जायेगा। यदि वैधता की तिथि अंकित नहीं है तो प्रस्तुत किए जाने की तिथि को वैध माना जाएगा।

* अनिवार्य एवं अधिमानी अर्हता, विज्ञापन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक धारित करना अनिवार्य है।

* अभ्यर्थी उक्त समस्त प्रमाण पत्रों की छायाप्रतियों को स्वप्रमाणित (Self-attest) अवश्य करें।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर.............................

अभ्यर्थी का नाम..............................

परिशिष्ट–8

नाम में भिन्नता के सम्बन्ध में स्वघोषणा

मै ——————————————(नाम) घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे हाईस्कूल अंकतालिका/प्रमाण पत्र में मेरा/पिता/माता का नाम———————————— अंकित है जबकि निम्नलिखित अभिलेखों में मेरे/पिता/माता के नाम में भिन्नता विद्यमान है।

1.

2.

3.

4.

5.

उक्तांकित दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।

दिनांकः

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर ——————————

अभ्यर्थी का नाम ——————————

अनुक्रमांक ——————————

परीक्षा का नाम ——————————

परिशिष्ट–9

Experience Certificate

Name of Deptt./Office: …………………………………………………………… …
Address of Deptt./Office: …………………………………………………………….
Date of Reg. of Company/Firm/Society/Institution/Trust: …………………………..
Registration No.of Company/Firm/Society/Institution/Trust………………………
Telephone No…………………………………………………………………………
Website: ………………………………………………………………………………

Logo of Office
(If available)

Ref. No. :-

This is to certify that Shri /Smt. /Km./Dr.. Son/ Daughter/Wife of shri.. is an employee of this Department/ Organization/Company/Firm/ Society /Institution/Trust and duties performed by him during the period (s) are as under:

Name of post held	**From** dd/mm/yy	**To dd/mm/yy**	**Total Period dd/mm/yy**	**Nature of appointment (Permanent-Regular/ Temporary/ Part-time/ Contract/ Visiting faculty/Daily wages/ Honorary, etc.)**	**Nature of Experience: Specialty/Field of Research/Technical/ Administration/ Academic or any other experience.**	**Pay scale and last salary drawn**	**Duties performed/ experience gained in brief in each post (Please give details)**	**Place of posting**	**Worked at supervisory level/ middle management level/head of branch/ other**
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10

It is also certified that above facts and figures are true and based on service records available in our Department/Organization/Company/Firm/ Society/Institution/Trust.

Date :
Place :

Sign ....
(Signature & Name of Authorized Signatory in Capital Letters)
Designation with seal

Name & Signature of Candidate :

* All fields in this form are mandatory to be filled. Incomplete format will not be accepted in any case.